राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत लटठावाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 883/2016

1. वीरादेवी पत्नी बलवन्तसिंह जाति अरोड़ा निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. राजपालसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत कौर पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता — प्रार्थीया
2. श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1 व 2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.06.2017

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम चक 17 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 38 में किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13/2, 14, 15, 16, 17 24, 25 में 3.0370 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया को खेत में जानें के लिये रास्ता मन्जूर शुद्धा नहीं है प्रार्थीया को अपनें खेत में जानें के लिये चक 17 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 से होकर अपनें खेत में होकर अपनें खेत में आसानी से पहूँच जाती है तथा यही रास्ता काफी समय से चल रहा है।

प्रार्थीया को खेत में जानें के लिये उपरोक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तथा यही रास्ता नजदीक है तथा प्रार्थीया के लिये सुविधाजनक है।

मन्जूर शुद्धा रास्ता न होनें की वजह से अप्रार्थीयान धमकी दे रहे है, कि हम रास्ता बन्द कर देगें अगर उन्होनें रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थीया के खेत में जानें के लिये कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिये रास्ता मन्जूर किया जाना अति आवश्यक है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 55 में अप्रार्थी के नाम चक 17 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 1/.228, 4/.253, 5/.038, 7/051, 8/.202 कुल 0.772 हैक्टर रकबा अप्रार्थीयान के नाम राजस्व रिकार्ड में है। तथा मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 में रास्ता चल रहा है। तथा यहि रास्ता मन्जूर किया जाना चाहीये तथा यहि रास्ता सुविधापूर्ण है रास्ता के बदले में जो रकबा आयेगा उसका मुआवजा प्रार्थीया जमा करवानें के लिये तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया नें अप्रार्थीयान को कई बार कहा कि रास्ता मन्जूर करवा लें लेकिन आज तक उसनें रास्ता मन्जूर नहीं करवानें दिया बल्कि अब वह रास्ता बन्द करनें पर उतारू हो रहा है। यदि उसनें रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थीया को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा।

अतः चक 17 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 मे 2 बिस्वा स्वीकृत किया जानें का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तलबी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नें जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को खेत में जानें के लिये मन्जूरशुद्धा रास्ता मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 पर स्वीकृत है, व मौके पर चालू है इस कारण प्रार्थीया द्वारा यह कहना गल्त है, कि वह मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 में से होकर अपनें खेत में पहुँच जाती है कतई गल्त व निराधार है, क्योंकि मुरब्बा नम्बर 38 जहां प्रार्थीया की भूमि स्थित है के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 पर रास्ता स्वीकृत है। मुरब्बा नम्बर 55के किला नम्बर 5 में कोई रास्ता कभी नहीं चला है।

प्रार्थीया के खेत मुरब्बा नम्बर 38 में स्वीकृत रास्ता चालू है इस कारण एक मुरब्बे में एक रास्ते के होते हुए दूसरे रास्ते को स्वीकृत करवाये जानें का कोई प्रावधान नहीं है अगर प्रार्थीया को कोई रास्ते की आवश्यक्ता है, तो वह मुरब्बा नम्बर 38 के अन्य काश्तकारान जो कि उसके ही परिवार के सदस्य है से रास्ता मांग सकती है ना ही मुरब्बा नम्बर 55 के मालिकान से।

मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 में कोई रास्ता ना तो चल रहा है और ना ही रास्ता की आवश्यक्ता है, क्योंकि मुरब्बा नम्बर 38 के जिन बीघाजात के लिये प्राथीया नें रास्ता की क्लेम की है वह मुरब्बा नम्बर 38 के पूर्व में ही एक रास्ता स्वीकृत शुद्धा व चालु है इस कारण मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 में ना तो रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है और ना ही यह कोई सुविधाजनक स्थान रास्ते को है।

मुरब्बा नम्बर 38 व मुरब्बा नम्बर 55एक दुसरे के उपर स्थित होनें के कारण इन दोनों मुरब्बो के बीच में से पक्का खाला मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्थित है जिस पर किसी प्रकार की कोई पुलिया का निर्माण नहीं है बकौल प्रार्थीया यदि कोई रास्ता किला नम्बर 5 में होता तो पुलिया का निर्माण पक्के खाल पर आवश्यक रूप से किया गया होता।

प्रार्थीया द्वारा पूर्व में स्थित रास्ता का उल्लेख जानबुझकर अपनें आवेदन पत्र में नया रास्ता लेनें के आश्य से नहीं किया है इस कारण भी वह कोई अनुतोष प्राप्त करनें की अधिकारिणी नहीं है। अतः प्रार्थीया से 10,000/– क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भू अभिलेख श्रीगंगानगर द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 में पूर्व में सरकारी रास्ता है किला नम्बर 1 व 2 में भी रास्ता दिया जा सकता है।

मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में भी सरकारी रास्ता मन्जूर है जो मौके पर चल रहा है।

अप्रार्थी राजपालसिंह द्वारा बताया गया कि उक्त मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5/.089 रकबा राज को स्माल पेच हेतु उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रकरण दिया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस उभया पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया।

बहस पर मनन किया गया अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2014 (1) पेज 40 का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार द्वारा दिया गया वैकल्पिक रास्ता मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 व 2 में यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो रास्ते की दूरी स्वीकृत शुद्धा रास्ते से 2 बीघा में कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावेगा। यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को स्वीकृत किया जाता है, तो सड़क से मात्र 2 बिस्वा ही रास्ता स्वीकृत किया जावेगा। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ते में कास्त योग्य भूमि को गैर मुमकिन भूमि रास्ता की भूमि अधिक घोषित की किया जाना उचित नहीं है इस कारण प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते में कम भूमि का उपयोग होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

तहसीलदार द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो कि न केवल लम्बा है, बल्कि प्रार्थीया के लिये असुविधाजन भी है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत भूमि की काश्त को महत्व देते हुए तथा प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की कम दूरी को मध्यनजर रखते हेतु चक 17 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 जो राजस्व अभिलेख मे रकबा राज दर्ज है, में से 2 बिस्वा रास्ता वर्तमान डी.एल.सी. के दोगना मुआवजा राजकोष में जमा करवाये जानें की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेति किया जाता है, कि प्रार्थीया द्वारा रास्ते की भूमि के मुआवजा के फलस्वरूप वर्तमान डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 13.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लट्ठावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर